संख्या– /XXVII(6)/टीसी.917/एक/2020/2022

प्रेषक,

सुरेन्द्र नारायण पाण्डेय,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी, कोषागार/उपकोषागार, उत्तराखण्ड।
2. वित्त अधिकारी, भुगतान एवं लेखा कार्यालय, नई दिल्ली।

वित्त अनुभाग–6 देहरादूनः दिनांक 11 मई, 2022

विषय– पेंशनरों के वार्षिक सत्यापन हेतु जीवन प्रमाण पत्र को जमा करने की प्रकिया के निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि वर्तमान में उत्तराखण्ड के कोषागारों, उपकोषागारों व भुगतान एवं लेखा कार्यालय, नई दिल्ली से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों का वार्षिक सत्यापन वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या– 1088/XXVII(3)/2004, दिनांक 26 अगस्त, 2004, शासनादेश संख्या–0246/XXVII(7)/2011, दिनांक 01 नवम्बर, 2011, शासनादेश संख्या–131/XXVII(6)/430/एक/2008/2019, दिनांक 29 मार्च, 2019, कार्यालय ज्ञाप संख्या–105/XXVII(6)एक/917/2013/2020, दिनांक 06 फरवरी, 2020 एवं शासनादेश संख्या–554/XXVII(6)/917/एक/2013/ 2020, दिनांक 07 दिसम्बर, 2020 में निर्धारित प्रकिया के अनुसार सम्प्रति कियान्वित किया जा रहा है।

2– उत्तराखण्ड के कोषागारों, उपकोषागारों व भुगतान एवं लेखा कार्यालय से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों द्वारा वार्षिक सत्यापन हेतु जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रकिया को अधिक प्रभावशाली एवं सुविधापूर्ण बनाये जाने हेतु निम्नलिखित निर्धारित प्रकिया को अपनाये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1. पेंशनर अपने घर से अथवा किसी भी नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सी.एस.सी) में अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र कार्यालय ज्ञाप संख्या–105, दिनांक 06.02.2020 में निर्धारित प्रकिया के अनुसार ऑनलाईन जमा कर सकते हैं।
2. वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या–554, दिनांक 07.12.2020 में निर्धारित प्रकिया के अनुसार इण्डिया पोस्ट पैमेंट बैंक द्वारा विकसित पोस्ट इंफो एप (Post info app) के माध्यम से भी राज्य के पेंशनर/लाभार्थी वार्षिक सत्यापन हेतु अपना जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।
3. पेंशनर वार्षिक सत्यापन हेतु प्रदेश के किसी भी कोषागार/उपकोषागार व भुगतान एवं लेखा कार्यालय में उपस्थित होकर भी जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते है। कोषागार/उपकोषागार व भुगतान एवं लेखा कार्यालय पेंशनर के उपस्थित होने पर आधार आधारित जीवन प्रमाण सॉफ्टवेयर पर बायोमैट्रिक्स डिवाईस के माध्यम से उनका वार्षिक सत्यापन करेंगे। जीवन प्रमाण सॉफ्टवेयर के माध्यम से पेंशनर के वार्षिक सत्यापन न होने की दशा में (यथा बायोमैट्रिक्स

डिवाईस में पेंशनर के फिंगर प्रिण्ट identify नहीं होने या कोई अन्य समस्या की स्थिति में) पेंशनर का वार्षिक सत्यापन पेंशनर के आई0एफ0एम0एस0 डाटाबेस में उपलब्ध मोबाईल नम्बर पर प्राप्त ओ0टी0पी0 एवं कोषागार द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र के आधार पर किया जायेगा।

4. कोषागार/उपकोषागार/भुगतान एवं लेखा कार्यालय में पेंशनरों के ओ0टी0पी0 कोषाधिकारी तथा अप्रूवर–कोषागार/उपकोषागार व भुगतान एवं लेखा कार्यालय के अधिकारी यथा मुख्य कोषाधिकारी/ वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, मुख्य वित्त अधिकारी/वरिष्ठ वित्त अधिकारी/वित्त अधिकारी, उपकोषाधिकारी पृथक–पृथक यूजर होंगे। कोषागार में मेकर द्वारा जीवन प्रमाण पत्र पेंशनर के आई0एफ0एम0एस0 डाटाबेस में उपलब्ध मोबाईल नम्बर पर प्राप्त ओ0टी0पी0 के आधार पर सत्यापित किया जायेगा एवं जीवन प्रमाण पत्र मूल रूप में अपलोड किया जायेगा। चैकर तथा अप्रूवर द्वारा सम्पूर्ण जांच कर जीवन प्रमाण पत्र को सत्यापित किया जायेगा। अप्रूवर द्वारा जीवन प्रमाण पत्र सत्यापित करने के बाद पेंशनर का जीवन प्रमाण पत्र सत्यापित माना जायेगा। कोषागार द्वारा सत्यापित जीवन प्रमाण पत्र को अपलोड करने की सुविधा आई0एफ0एम0एस0 मोबाइल एप पर भी उपलब्ध होगी।
5. डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (जीवन प्रमाण एवं पोस्ट इन्फो एप के माध्यम से) की व्यवस्था सर्वसुलभ तथा प्रामाणिक होने के दृष्टिगत बैंक द्वारा प्रमाणिक जीवित प्रमाण पत्र जमा करने की व्यवस्था स्वतः ही समाप्त समझी जायेगी।
6. पेंशनर को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु अपना सही आधार संख्या कोषागार/उपकोषागार/भुगतान एवं लेखा कार्यालय में अपडेट कराना अनिवार्य होगा। पेंशनर प्रदेश के किसी भी नजदीकी कोषागार/उपकोषागार व भुगतान एवं लेखा कार्यालय में उपस्थित होकर अपना सही आधार नम्बर अपडेट करा सकते है।
7. लम्बी अवधि के लिये विदेश में प्रवास करने वाले पेंशनर अपना जीवन प्रमाण पत्र भारत के राजनयिक प्रतिनिधि अथवा आर0बी0आई0 अधिनियम, 1934 के द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित किसी भी बैंक के शाखा प्रबन्धक द्वारा प्रमाणित कराकर संबंधित जनपदीय कोषागार को उपलब्ध करा सकते है। संबंधित जनपदीय कोषागार के कोषाधिकारी द्वारा वर्चुअल (Video Conferencing) के माध्यम से ऐसे समस्त जीवन प्रमाण पत्रों की पुष्टि की जायेगी।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा पेंशनरों के वार्षिक सत्यापन हेतु जीवन प्रमाण पत्र के संबंध में पूर्व में जारी शासनादेशों को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(सुरेन्द्र नारायण पाण्डेय)
सचिव।

संख्या– 86 /XXVII(6)/टीसी.917/एक/2020/2022तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्ययक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी/ऑडिट, कौलागढ़रोड़, देहरादून।
5. आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊं, उत्तराखण्ड।

6. निदेशक, कोषागार पेंशन एवं हदकारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड नई दिल्ली।
8. मुख्य महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर।
9. महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर/देहरादून।
10. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. समस्त वित्त नियंत्रक/आहरण वितरण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, शाखा साईबर कोषागार, देहरादून।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दीपक कुमार)
अनु सचिव।